53

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2139–दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 31 जनवरी, 2012 – पारित व्दारा – तहसीलदार धुवारा , जिला छतरपुर – प्रकरण क्रमांक 59 अ–3/2010–11

1– बल्देव प्रसाद 2– ग्यासीलाल
दोनों पुत्रगण खुन्दू बुनकर
3– श्रीमती माखनवाई पत्नि स्व.रामलाल
तीनों ग्राम धुवारा तहसील धुवारा
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– संतोषराम पुत्र खुन्दू बुनकर
ग्राम धुवारा तहसील धुवारा
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश
2– म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर, छतरपुर ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी)
(अनावेदक क्र–1 के अभिभाषक श्री योगेन्द्र भदौरिया)

आ दे श

(आज दिनांक 4 –1 –2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार धुबारा जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 59 अ–3/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 31 जनवरी, 2012 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक-1 ने तहसीलदार धुवारा को इस आशय का आवेदन दिया कि उसके एंव आवेदकगण के खाते की भूमि सर्वे कमांक 3844/2/1 एंव 3845/1 कुल किता 2 कुल रकबा 0.458 हैक्टर नक्शे में बटांकित नहीं है जबकि मौके पर बटवारे अनुसार काविज होकर खेती कर रहे हैं इसलिये नक्शे में भूमि बटांकित की जावे। तहसीलदार धुवारा ने प्रकरण कमांक 59 अ-3/2010-11 पंजीबद्व किया तथा जांच एंव सुनवाई कर आदेश दिनांक 31 जनवरी, 2012 पारित किया तथा भूमि का नक्शे में लालस्याही से बटांकन करना स्वीकृत कर दिया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को के दौरान आपत्ति प्रस्तुत की कि तहसीलदार ने आवेदकगण को सूचना दिये बिना एंव सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया है इसलिये निरस्त किया जाय। अनावेदक के अभिभाषक ने बताया कि आवेदकगण तहसील न्यायालय में उपस्थित रहे है उनका यह आधार बेबुनियाद है।

उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार धुवारा के प्रकरण कमांक 59 अ-3/2010-11 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार ने अनावेदक क-1 का आवेदन आने पर राजस्व निरीक्षक को मौके पर भेजा है तथा राजस्व निरीक्षक ने मौके पर जाकर कब्जे के मान से नक्शा तरमीम के प्रस्ताव दिये हैं। राजस्व निरीक्षक के तरमीम प्रस्ताव पर बल्देव पुत्र खुन्दू ने आपत्ति प्रस्तुत की है तब निगरानी न्यायालय में यह तर्क प्रस्तुत करना कि तहसीलदार ने बचाव का अवसर नहीं दिया - तर्क माने जाने योग्य नहीं है क्योंकि तहसीलदार ने इस आपत्ति पर से राजस्व निरीक्षक को पुनः मौके पर भेजा है जिसने पुनः बटांकन प्रस्ताव भी दिये हैं।

तहसीलदार के आदेश दिनांक 31.1.12 के पद 4 का अॅश उद्धरण इस प्रकार है :-

''मैंने स्वयं स0नं0 3844 व 3845 का स्थल निरीक्षण किया है''

तब यह नहीं माना जा सकता कि तहसीलदार मौके पर जाये एंव आवेदकगण को तहसीलदार व्दारा की रही जॉच एंव सुनवाई का पता न लगा हो। अतः आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा तर्को के दौरान उठाई गई आपत्ति माने जाने योग्य नहीं है।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में यह भी बताया कि तहसीलदार को नक्शा में तरमीम करने की अधिकारिता नहीं है। अनावेदक क-1 के अभिभाषक ने वताया कि तहसीलदार नक्शे में बटांकन कर सकते हैं।

उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 68 सहपठित 70 में दिये गये प्रावधानों के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार को सर्वेक्षण सॅख्यांकों को पुर्नकमांकित या उप विभाजित करने की शक्तियॉ प्रदान की गई हैं। अतएव आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा तर्को के दौरान उठाई गई यह आपत्ति व्यर्थ है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार धुबारा जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 59 अ-3/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 31 जनवरी, 2012 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाकर निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर